UPAD010044042009

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष संख्या 1, इलाहाबाद ।
उपस्थिति– श्री राम किशोर शुक्ल (एच0जे0एस0)

आपराधिक अपील सं0–216/2009

आशीष नेवटिया पुत्र मृतक प्रमोद कुमार नेवटिया, निवासी 3ई जी0जी0मीनार 23 न्यू कालेज रोड थाना नुगुम मद्रास चेन्नई तमिलनाडू।

———————अपीलार्थी

बनाम

उ0प्र0 सरकार

—————————विपक्षी,

फौ0वाद सं0–4171/2001
मु0अ0सं0–52/2000
धारा–498ए भा0दं0सं0 एवं
3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–महिला थाना झॉसी

एवं

UPAD010044052009

आपराधिक अपील सं0–217/2009

श्रीमती मंजरी गोयल पत्नी श्री उत्तम गोयल निवासी 19,बी वुडलैण्ड अपार्टमेन्ट, पेडर रोड थाना गमदेवी, मुम्बई, महराष्ट्र।

———————अपीलार्थी,

बनाम

उ0प्र0 सरकार

—————————विपक्षी,

फौ0वाद सं0–4171/2001
मु0अ0सं0–52/2000
संबंधित धारा–498ए भा0दं0सं0
थाना–महिला थाना झॉसी

एवं

UPAD010065252010

आपराधिक अपील सं0–19/2010

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) इलाहाबाद।

—————————अपीलार्थी,

बनाम

1– श्रीमती रश्मी पत्नी श्री इमरान नि0 3ई जी0जी0 मीनार 23 न्यू कालेज रोड चेन्नई थाना नुगम तमिलनाडू।
2– श्रीमती मयूरी मित्तल पत्नी श्री विनय मित्तल नि0 उपरोक्त हाल पता 62 नेहरू नगर आगरा
3– आशीष नेवटिया पुत्र प्रमोद कुमार नेवटिया नि0 3ई जी0जी मीनार 23 न्यू कालेज रोड, चेन्नई

4— श्रीमती मंजरी गोयल पत्नी उत्तम गोयल नि0 3ई जी0जी0 मीनार 23 न्यू कालेज रोड चेन्नई

————————विपक्षीगण।

फौ0वाद सं0—4171/2001
मु0अ0सं0—52/2000
धारा—498ए,323,504,506,420 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना—महिला थाना झॉसी

निर्णय

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा फौजदारी वाद सं0—4171/2001 राज्य बनाम आशीष नेवटिया व अन्य, अप0सं0—52/2000 थाना महिला थाना झॉसी में पारित आदेश दिनॉकित 13.11.2009, के विरूद्ध अपीलार्थी आशीष नेवटिया के द्वारा आपराधिक अपील सं0—216/2009 एवं अपीलार्थिनी मंजरी गोयल के द्वारा आपराधिक अपील सं0—217/2009 अन्तर्गत धारा 374(3) दं0प्र0सं0 अपनी दोषसिद्धि के विरूद्ध एवं अपीलार्थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) इलाहाबाद की ओर से आपराधिक अपील सं0—19/2009 अन्तर्गत धारा 378 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत कर अपील को स्वीकार कर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी मुकदमा नुपुर नेवटिया के द्वारा महिला थाना झॉसी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट करायी कि उसके पूर्व परिचित राजीव बंसल एवं उनकी पत्नी श्रीमती रीता बंसल वादिनी की शादी का प्रस्ताव वादिनी के पिता के पास सन 1997 में श्रीमती रीता बंसल की बहन श्रीमती रमा नेवटिया के लड़के आशीष तनय श्री प्रमोद कुमार नेवटिया के साथ करने के लिए आया। आशीष के परिवार को उन्होंने धनाड्य, बड़ा उद्योगपति बताकर रिश्ता करने के लिये तरह—तरह से प्रलोभन देकर तैयार कर दिया तथा दिनॉक 12.12. 1997 को वादिनी के पिता ने अपने निजी निवास 362 सिविल लाइन्स झॉसी से हिन्दू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से दहेज में पंद्रह लाख रूपये की मॉग के अनुसार आठ—दस लाख रूपये का सामान एवं दस लाख रूपये के जेवरात देकर शादी कर दी। वादिनी विदा होकर अपने ससुराल पहॅुची तो वादिनी के पति आशीष व उनकी तीनों ननदें क्रमशः मंजरी, श्रीमती मयूरी व श्रीमती रश्मी व वादिनी की सास श्रीमती रमा (जिनका स्वर्गवास हो गया है) ने वादिनी के दहेज का सामान खोलकर खराब क्वालिटी का सामान देने का उलहना देते हुये आये दिन गाली गलौज व अपमानित कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जाने लगी। वादिनी को उसकी मॉ से बातें नहीं करने देते थे उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करते थे। वादिनी के पति मार्च 98 में जब वादिनी पहली बार अपनी ससुराल आये तो उसके पति ने उसे ले

जाने के एवज में एक लाख रूपये व 6 सोने की गिन्नी की मॉग की जो उसे दी गयी। वादिनी को ज्ञात हुआ कि उसके ससुराल वालों की स्थिति बहुत जर्जर है उससे झूठ बोलकर व गलत बायोडाटा देकर शादी की गयी थी। वादिनी की ससुराल में दो ननदें श्रीमती मंजरी गोयल व श्रीमती रश्मि अपने मायके में ही रहती हैं एवं उनके एक–एक संतान भी है। वादिनी की सास चलने फिरने में असमर्थ रहती थी। दोनों ननदों व उनके बच्चों की हर संभव सेवा करने के बावजूद उनकी शिकायतों पर वादिनी के पति एवं सास, ससुर द्वारा वादिनी को जलील किया जाता रहा। वर्ष 1998 में दीपावली के पूर्व वादिनी के पति व उसके दोनों ननदों द्वारा कई बार दुर्व्यवहार किया गया तथा सारा सामान कब्जे में लेकर घर से निकाल दिया गया। वादिनी के पिता द्वारा इस दुर्व्यवहार की सूचना विवाह के प्रस्तावक राजीव बंसल एवं श्रीमती रीता बंसल से करते हुये कानूनी कार्यवाही की बात कही गयी जिसपर वादिनी के ससुर, पति व उसके पति के मौसा, मौसी राजीव एवं रीता दिसम्बर 1998 में झॉसी आये तथा खगेश गोयल आदि के सामने अपनी गल्ती स्वीकार की व भविष्य में परेशान न करने का आश्वासन देकर लिवा ले गये किन्तु जाते ही सभी लोगों ने वादिनी को कमरे में बन्द कर दिया व खाने पीने को तरसाया व जबरन कुछ लिखा पढ़ी करा ली व वादिनी को पुनः घर से निकाल दिया। वादिनी के पिता 01.04.1999 को आगरा जाकर लड़के के चचेरे मामा से मिले। काफी मिन्नत आरजू की कि लड़की की जिन्दगी बर्बाद हो जायेगी तो ससुरालवालों ने आशीष को नया व्यापार करना कहते हुये दो लाख रूपये की आवश्यकता जाहिर की। वादिनी के पिता ने रूपया दिया परन्तु तीन माह बाद वादिनी को जुलाई 1999 में मुँह में फ़्लिट छिड़क कर कमरे में बंद करके जान से मारने का प्रयास किया, जिसमें वादिनी को काफी चोटें आयी। वादिनी के पति का किसी लड़की से शादी के पूर्व से नाजायज संबंध था जो आज तक है। वादिनी के पति ने झॉसी आकर उसके पिता ने पुनः दहेज की पूर्ति हेतु एक लाख रूपये की मॉग की व न देने पर वादिनी को जान से मारने व दूसरा विवाह करने की धमकी दी। उस समय उसके पिता के दोस्त खगेश गोयल भी मौजूद थे। कई बार वादिनी ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोची पर न कर सकी। वादिनी का स्त्रीधन लाखों रूपया एवं दहेज वापस दिलाया जाये, ताकि वादिनी गुजर–बसर कर सके।

विवेचक द्वारा गवाहान आदि का बयानात लेने तथा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त महिला थाना झॉसी में मु0अ0 सं0– 52/2000 धारा 498ए, 323,504,506,420 भारतीय दण्ड संहिता 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण आशीष नेवटिया, श्रीमती मंजरी गोयल, श्रीमती रश्मि,

श्रीमती मयूरी मित्तल, राजीव बंसल, श्रीमती रीता बंसल के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा मामले पर संज्ञान लेते हुये तथा अन्य विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये व साक्षियों के बयान अंकित करने के पश्चात पत्रावली में उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर दिनॉक 13.11.2009 को अभियुक्तगण आशीष नेवटिया को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषसिद्ध पाते हुये पॉच वर्ष के साधारण कारावास एवं बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड, व धारा–4 में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं दस हजार रूपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कारावास तथा धारा 498ए भा0दं0सं0 में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं पॉच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्ता श्रीमती मंजरी गोयल को धारा 498ए भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध पाते हुये दो वर्ष के साधारण कारावास, दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को छः माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने संबंधी आदेश पारित किया गया है।

क्रिमिनल अपील सं0–216/2009 के संबंध में अपीलार्थी आशीष नेवटिया के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में कोई आरोप न बनने के बावजूद दोषसिद्ध कर निर्णय पारित करने में घोर अनियमितता कारित की गयी है। धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध करते समय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया है। पत्रावली पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किये जाने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। निर्णय पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की अनदेखी की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा महज पी0डब्लू0–1 नुपुर तथा पी0डब्लू0–2 यशवर्धन गुप्ता के साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य को गौर नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अभियोग एवं दण्डादेश पारित करने में घोर त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुये विद्वान अवर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा फौजदारी वाद सं0–4171/2021 राज्य बनाम आशीष नेवटिया व अन्य, संबंधित अप0सं0–52/2000 धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम महिला थाना झॉसी में पारित आदेश/निर्णय दिनॉक 13.11.2009 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

क्रिमिनल अपील सं0–217/2009 के संबंध में अपीलार्थी श्रीमती मंजरी

गोयल के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की अनदेखी करते हुये धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया है। पत्रावली पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध किये जाने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। निर्णय पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की अनदेखी की गयी है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा महज पी0डब्लू0–1 नुपुर तथा पी0डब्लू0–2 यशवर्धन गुप्ता के साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया है किसी अन्य साक्षी के साक्ष्य को गौर नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा अभियोग एवं दण्डादेश पारित करने में घोर त्रुटि कारित की है। अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुये विद्वान अवर मुख्य न्यायिक इलाहाबाद द्वारा फौजदारी वाद सं0–4171/2021 राज्य बनाम आशीष नेवटिया व अन्य संबंधित अप0सं0–52/2000 धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता महिला थाना झॉसी में पारित आदेश/ निर्णय दिनॉक 13.11.2009 को अपास्त किये जाने की याचना की गयी है।

आपराधिक अपील सं0–19/2010 पर उ0 प्र0 राज्य सरकार की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इलाहाबाद एवं वादिनी की ओर से उपस्थित व्यक्तिगत अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही मूल्यॉकन नहीं किया और समस्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आये साक्ष्यों को सिर्फ दोषसिद्ध किये गये अभियुक्तगण आशीष नेवटिया व मंजरी गोयल के विरूद्ध सिर्फ कुछ धाराओं में विचार में लेते हुये उपरोक्त वर्णित विपक्षीगण को दोषमुक्त किये जाने का निर्णय पारित किया है जो कि विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के प्रतिकूल है। पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य रहते हुये भी विपक्षी आशीष नेवटिया को धारा 323,504,506,420 भारतीय दण्ड विधान व विपक्षी श्रीमती मंजरी गोयल को धारा 323,504,506,420 भा0दं0वि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दण्डित न करके विधिक भूल की है। गवाहान के साक्ष्य में विपक्षीगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तथ्य के साक्षियों के द्वारा अपने बयानों में सभी विपक्षीगण के विरूद्ध विभिन्न अवसरों पर दहेज मांगने व लेने की बात का कथन किया है व दहेज लेने के बाबत दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जिसको विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा सिर्फ विपक्षी सं0–3 आशीष नेवटिया के विरूद्ध विचार में लेते हुये शेष अभियुक्तों को धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषमुक्त किया गया है। अभियोजन ने केस को संदेह से परे साबित किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन साक्ष्यों को विपक्षीगण श्रीमती रश्मि व श्रीमती मयूरी मित्तल के विरूद्ध विचार में न लेते हुये उन्हें दोषमुक्त किया गया है जो विधि के

प्रतिकूल है। उक्त विपक्षीगण पीड़िता की ननदें हैं और इन लोगों ने पीड़िता के पति के साथ मिलकर दहेज की मॉग की पूर्ति हेतु पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया व उसके जीवन को खतरा पहुॅचाया। उसके साथ दुर्वयवहार किया। विपक्षीगण दोषसिद्ध किये गये अभियुक्तगण के साथ मिलकर सबने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादिनी को दहेज के लिये मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित किया, गाली गलौज दिया, मारा पीटा तथा धोखा धड़ी किया जिसके संबंध में पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। सभी अभियुक्तों के द्वारा अपनी हैसियत को बढ़ा–चढ़ा कर बताया गया और पीड़िता के पिता व परिवार वालेां को शादी के लिये धोखा देकर राजी कर लिया गया इस साक्ष्य को भी विद्वान अवर न्यायालय ने अभियुक्तगण के विरूद्ध विचार में लेने की भूल किया है। विपक्षीगण द्वारा अपने बचाव में किसी साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है जबकि धारा 8ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार यह साबित करने का भार उनपर था कि उन्होंने 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने विपक्षीगण के विरूद्ध अपराध सन्देह से परे साबित न होने का निष्कर्ष सरसरी तौर पर लिया है जो सर्वथा न्याय के प्रतिकूल है। विपक्षीगण ने अपने बचाव में बचाव के स्तर पर किसी साक्षी का बयान नहीं कराया है और न ही दहेज मांगने व लेने के संबंध में तथ्य के गवाहन को कोई सजेशन ही दिया गया है जिससे धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की साक्ष्य अखण्डित हो जाती है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य पर भी न्याय पूर्वक विचार नहीं किया है कि अभियुक्त ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313द0प्र0सं0 में इस तथ्य का कथन नहीं किया है कि वे चेन्नई में दोषसिद्ध अभियुक्त आशीष नेवटिया के साथ नहीं रहते हैं और न ही इस संबंध में अपनी ओर से कोई सफाई ही पेश की है। पी0डब्लू0–1ता5 की साक्ष्य से अभियुक्त विपक्षीगण के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप संदेह से परे साबित होते हैं व इनकी साक्ष्य में किसी प्रकार का विरोधाभाष नहीं है व सभी अभियुक्त/विपक्षीगण समस्त आरोपित धाराओं में दण्डित किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार करते हुये सभी अभियुक्तगण को धारा 498ए,323,504,506,420 भारतीय दण्ड विधान व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक तर्कों को सुना तथा अपील पत्रावली तथा मूल पत्रावली में शामिल प्रपत्रों, वादिनी नूपुर की ओर से दाखिल लिखित बहस 100ख (क्रि0अपील सं0–19/2010) व अपीलार्थीगण की ओर से दाखिल लिखित बहस का परिशीलन किया।

अपीलार्थी आशीष नेवटिया व मंजरी गोयल की ओर से मुख्य रूप से

प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने, विवेचनात्मक कार्यवाही सही रूप से सम्पन्न न किये जाने जैसे नक्शा नजरी घटनास्थल चेन्नई का न होने, अन्तर्गत धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम व 498ए भारतीय दण्ड संहिता में अपराध साबित न होने, तात्विक साक्षीगण को परीक्षित न कराये जाने, परीक्षित साक्षीगण के बयान में तात्विक विरोधाभाष होने तथा परिवादिनी व उसके पिता की साक्ष्य हितबद्ध साक्षी होने के कारण बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार में लेने संबंधित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित आदेश को अपास्त कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

अपने तर्क के समर्थन में विधि व्यवस्था लाला राम बनाम स्टेट आफ यू0पी0 1990(2) एस0सी0सी0 113, कल्याण कुमार गोगोई बनाम विशाल अग्निहोत्री 2011(2) एस0सी0सी0 532, हरि कुमार बनाम स्टेट आफ कर्नाटका आई0एल0आर0 1993 कर्नाटका 3035, रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम 2004 (3) एस0सी0सी0 199, मोहिन्दर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2004 (12) एस0सी0सी0 311, सत्यजीत राय बनाम स्टेट आफ त्रिपुरा 2010 सी0आर0एल0जे0 3397, फारूख उर्फ मुन्ना बनाम राज्य मनु/यू0सी0/0447/2008, एस0गोपाल रेड्डी बनाम स्टेट आफ आन्ध्रप्रदेश 1996 (4) एस0सी0सी0 596, स्टेट आफ यू0पी0 बनाम विजय सिंह 2008(2) ए0सी0आर0 1396, हाजी बादल बनाम आबिद हुसैन 1982(8) ए0सी0आर0 151, कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम प्रेम पाल अग्रवाल 1982(8) ए0सी0आर0 198, सतबीर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2001(8) एस0सी0सी0 633, अप्पा साहिब व अन्य बनाम स्टेट आफ महराष्ट्र ए0आई0आर0 2007(एस0सी0)763, हंशराज शर्मा बनाम गवर्नमेंट आफ एन0सी0टी0 2010 सी0आर0एल0जे0 4664 व बीरबल बनाम स्टेट आफ हरियाणा मनु/पी0एच0/2492/2013, ईश्वर सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 (1974) 4 एस0सी0सी0 355, सन्तोष प्रसाद बनाम स्टेट आफ बिहार (2020) 3 एस0सी0सी0 443, मन्जूराम कालिता बनाम स्टेट आफ आसाम (2009) 13 एस0सी0सी0 330, इन्द्र मोहन गोस्वामी बनाम स्टेट आफ उत्तरांचल (2007)12 एस0सी0सी0 1 में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त संदर्भित किया गया है।

उपर्युक्त के विपरीत अभियोजन/वादिनी नुपुर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई देरी नहीं है। विवेचना सही तरीके से निष्पादित हुयी है जो कि अभियुक्तगण मंजरी गोयल व आशीष नेवटिया की गिरफ्तारी चेन्नई में होने से स्पष्ट है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय ने मात्र अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अभियुक्त आशीष नेवटिया व धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में मंजरी

गोयल को सजा की गयी है जबकि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अन्य अभियुक्तगण रश्मि, मयूरी मित्तल को सभी धाराओं में व मंजरी गोयल के विरूद्ध धारा 323,504,506,420 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्त आशीष नेवटिया के विरूद्ध धारा 504,506,420 व 323 भारतीय दंण्ड संहिता का अपराध भी साबित है। समस्त आवश्यक साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। परीक्षित साक्षीगण के बयान में कोई विरोधाभाष नहीं है। वादिनी मामले की पीड़िता है एवं उसके पिता को कुछ तथ्यों की जानकारी स्वतः और कुछ की पीड़िता के बताने पर हुयी है। उसके साक्ष्य पर किसी भी प्रकार से अविश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः अभियोजन की अपील स्वीकार करते हुये विपक्षीगण रश्मी व मयूरी मित्तल को अन्तर्गत धारा 498ए,323,504,506,420 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, विपक्षी आशीष नेवटिया को अन्तर्गत धारा 323,504,506,420 भारतीय दण्ड संहिता तथा मंजरी गोयल को धारा 323,504,506,420 भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दण्डित किया जाये।

प्रस्तुत मामले में प्रमुख विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है।

1— क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है एवं उससे न्याय का हनन हुआ है?

2— क्या विवेचना सही रूप से सम्पन्न नहीं हुयी है एवं उससे बचावपक्ष के साथ पूर्वाग्रह कारित हुआ है ?

3— क्या तात्विक साक्षीगण को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है?

4— क्या परीक्षित साक्षीगण के बयान में तात्विक विरोधाभाष है एवं वादिनी व उसके पिता क्रमशः पी0डब्लू0—1 व पी0डब्लू0—2 हितबद्ध पक्षकार हैं?

5— क्या अपीलार्थी आशीष नेवटिया के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम साबित नहीं है?

6— क्या अपीलार्थी आशीष नेवटिया व मंजरी गोयल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता साबित नहीं है?

7— क्या अपीलार्थीगण एवं अन्य अभियुक्त श्रीमती रश्मि व मयूरी मित्तल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 498ए,323,504,506,420 भारतीय दण्ड संहिता साबित है?

प्रथम विचारणीय बिन्दु के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से तर्क किया गया है कि अपीलार्थी आशीष नेवटिया व पीड़िता नूपुर की शादी दिनॉक 12.12.1997 को हुयी थी एवं पीड़िता ने अपनी ससुराल स्थित चेन्नई को दिनॉक 24.07.1999 में छोड़कर अपने पैत्रक निवास झॉसी आ गयी थी एवं अगस्त 2000 में अपनी उच्च

शिक्षा के नाम पर अमेरिका चली गयी तब 14.08.2020 को अपीलार्थी आशीष नेवटिया द्वारा चेन्नई स्थित परिवार न्यायालय में विवाह विच्छेद याचिका दाखिल की गयी जिसकी लीगल नोटिस प्राप्त होने पर दिनॉक 21.12.2000 को परिवार न्यायालय झॉसी में विवाह विच्छेद याचिका वादिनी द्वारा दाखिल की गयी एवं तदोपरान्त दिनॉक 25.12.2020 को झॉसी के पुलिस थाने पर परिवादिनी ने झूठी शिकायत आशीष नेवटिया व उसके परिवार व रिस्तेदार के विरूद्ध दाखिल की। इस प्रकार पीड़िता द्वारा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनॉक 25.12.2000 को दर्ज करायी गयी है जो कि घटना के काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है और यह सोच समझ कर विचार विमर्श के बाद करायी गयी है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट मूल्यहीन है

उपर्युक्त के विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि अन्तर्गत धारा 498ए निरन्तर चलने वाला अपराध है। अभियुक्त/अपीलार्थीगण द्वारा दी गयी सतत पीड़ा से निजात पाने की प्रत्याशा में तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी गयी थी। अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज कराये जाने के संबंध में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि वे वैवाहिक संबंध को समाप्त नहीं करना चाहते थे इस प्रयास में थे कि दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता हो जाये एवं वादिनी का जीवन बर्बाद होने से बच जाये किन्तु जब दिसम्बर 2000 में आशीष ने झॉसी आ कर वादिनी के पिता को दहेज की मॉग पूरी करने अन्यथा नूपुर के जीवन को समाप्त करने की धमकी दी तथा सब तरह से संबंध बचाने में विफल हो गये तब विवश होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी।
प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि विलम्ब से भी है तो भी अभियोजन कथानक की सत्यता प्रभावित नहीं होती है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट का मूल्य कम होता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराया जाना नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रत्येक मॉ बाप बेटी की शादी जिस घर में करते हैं, प्रयास करते हैं कि बेटी वहॉ ही सकुशल रहे। उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। चूॅकि हिन्दू समाज में दहेज का चलन है। माता पिता प्रयास करते हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को अवश्य कुछ उपहार एवं दहेज दे किन्तु फिर भी कभी–कभी ऐसे ससुरालीजन मिल जाते हैं जो मॉग पर मॉग करते हैं। इसी विभीषिका से समाज को बचाने के उद्देश्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498ए व 304बी दहेज हत्या आदि के प्राविधान समय समय पर विधायिका को सृजित करने पड़े। प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से इसलिये भी नहीं है क्योंकि पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया है कि जब वह अपनी पुत्री को झॉसी से ले

आये और करीब एक साल तक संबंध सुधरने की प्रतीक्षा करते रहे। उसी बीच दिसम्बर 2000 में उनका दामाद झॉसी आया और दहेज की मॉग पूरी न होने पर नूपुर को जान से मारने की धमकी दी तब उसने विवश होकर नूपुर को पहुॅचायी गयी प्रताड़ना एवं दहेज की मॉग के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। स्वीकृत रूप से नूपुर एवं आशीष की शादी दिनॉक 12.12.1997 को हुयी है एवं दिनॉक 24.07.1999 को नूपुर ससुराल छोड़कर मायके आ गयी थी एवं दोनों पक्ष द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध विवाह विच्छेद याचिका संस्थित की गयी एवं तदोपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी है जो किसी भी रूप से विलम्ब से नहीं कही जा सकती है।

द्वितीय विचारणीय बिन्दु विवेचना के सही रूप से सम्पन्न न होने एवं बचावपक्ष के साथ पूर्वाग्रह कारित होने से संबंधित है। अपीलार्थी आशीष आदि का कथन है कि मामले में कोई भी विवेचना चेन्नई में नहीं की गयी न ही वहॉ कोई नक्शा नजरी तैयार किया गया, न आस–पास के लोगों से पूछताछ की गयी, न गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। बिना साक्ष्य संग्रह के अपीलार्थीगण को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कोई बयान अंकित नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्य कि आशीष के नाजायज संबंध शादी होने के पूर्व से किसी अन्य लड़की से थे, के संबंध में कोई जॉच नहीं की गयी। मयूरी मित्तल आगरा की रहने वाली है। मंजरी गोयल मुम्बई की रहने वाली है। रश्मि गोयल चेन्नई की रहने वाली है जहॉ उसकी ससुराल है। राजीव बंसल व रीमा बंसल ग्वालियर के रहले वाले हैं। आगरा, मुम्बई व ग्वालियर में भी कोई विवेचना नहीं की गयी है। इसी प्रकार नरेश मोदी जो चेन्नई के रहने वाले हैं का बयान पी0डब्लू0–5 एस0आई0 रीता गुप्ता ने अंकित करना कहा है जब कि पी0डब्लू0–3 ने विरोधी बयान देने हुये स्वंय द्वारा उनका बयान लिखना कहा है।

उपर्युक्त के विपरीत अभियोजन की ओर से कहा गया है कि विवेचना आवश्यक बिन्दुओं पर की गयी है एवं घटनास्थल का नक्शा नजरी आदि तैयार किया गया है व गवाहान के बयान भी दर्ज किये गये हैं। विवेचना में कोई त्रुटि नहीं है न ही कोई पूर्वाग्रह अपीलार्थी द्वारा कारित हुआ है।

उभयपक्ष की ओर से किये गये तर्कों के आलोक में व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से सुस्पष्ट है कि अभियुक्त आशीष नेवटिया व मंजरी गोयल की गिरफ्तारी चेन्नई से उनके निवास स्थान से दिनॉक 04.01.2001 को हुयी है। यह तथ्य सुस्पष्ट करता है कि चेन्नई में विवेचनात्मक कार्यवाही सम्पन्न हुयी है तथा उनका बयान भी विवेचक पी0डब्लू0–3 हरिदेवी सिंह द्वारा केस डायरी में अंकित

किया गया है तथा साक्षी नरेश मोदी व दीपिका गोयल का भी बयान उनके द्वारा अंकित किया गया है। प्रथम विवेचक पी0डब्लू0–5 गीता गुप्ता द्वारा परिवादिनी व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये गये हैं तथा उनके द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–18 अपने हस्ताक्षर में तैयार किया जाना कहा गया है। यद्यपि कि नक्शा नजरी चेन्नई स्थित घटनास्थल से संबंधित नहीं है किन्तु मात्र इसी आधार पर कि प्रथम विवेचक ने जो नक्शा नजरी तैयार कियाहै वह चेन्नई स्थित घटनास्थल का नहीं है एवं बाद वाले विवेचक ने ऐसा कोई नक्शा नजरी तैयार नहीं किया। मात्र इस आधार पर अभियोजन कथानक संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। यह मात्र एक अनियमितता एवं विवेचक द्वारा की गयी कमी है। विधि व्यवस्था **दशरथ सिंह बनाम उ0प्र0राज्य 2004(7) एस0सी0सी0 408** में प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ मौखिक साक्ष्य विश्वसनीय एवं अभियोजन कथानक के समर्थन में हो वहॉ त्रुटिपूर्ण की गयी विवेचना अभियोजन कथानक को निरस्त किये जाने का आधार नहीं हो सकती। विवेचक द्वारा नक्शा नजरी तैयार न करने अथवा गलत नक्शा तैयार करने के संबंध में भी विधि व्यवस्था **राम गुलाम चौधरी बनाम स्टेट आफ बिहार 2001 (2) जे0आई0सी0 986 एस0सी0** में कहा गया है कि विवेचक घटना का चक्षुसाक्षी नहीं होता है। विश्वसनीय चक्षुसाक्षीगण ने अपने साक्ष्य से घटनास्थल को साबित किया है अतः विवेचक द्वारा नक्शा साबित न करना अभियोजन कथानक के लिये घातक नहीं है। इस प्रकार चेन्नई स्थित घटनास्थल का नक्शा विवेचक द्वारा न तैयार किया जाना मामले में किसी भी प्रकार से घातक नहीं है। अपीलार्थी की ओर से इस संबंध में किया गया कथन बलहीन है एवं मानने योग्य नहीं है कि मामले में समुचित विवेचना नहीं की गयी जिससे उसका पक्ष पूर्वाग्रह ग्रस्त हुआ हो।

तृतीय विचारणीय बिन्दु तात्विक साक्षीगण को अभियोजन द्वारा परीक्षित न कराये जाने से संबंधित है। उपलब्ध अभिलेखों से सुस्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में पी0डब्लू0–1 वादिनी मुकदमा नूपुर नेवटिया, पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता जो वादिनी के पिता हैं, पी0डब्लू0–3 हरिदेवी सिंह विवेचक, पी0डब्लू0–4 कां0 सी0पी0 बनवारी लाल प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक व पी0डब्लू0–5 एस0आई0 गीता गुप्ता विवेचक को मामले में परीक्षित कराया गया है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रमुख रूप से तर्क किया गया है कि खगेश गोयल जो दोनों पक्षों के बीच हुयी वार्ता आदि में शामिल रहे हैं, नरेश मोदी जिनके घर वादिनी घटना के बाद जाकर रही एवं तदोपरान्त झॉसी आयी व दर्शन वासुदेव व कपिल साहनी जिनके सामने झांसी आकर आशीष द्वारा एक लाख रूपया मॉगने व न मिलने पर नूपूर को जान से मारने की धमकी देना कहा गया है, को मामले में परीक्षित नहीं कराया गया है। साथ ही

मामला दहेज की मॉग एवं वादिनी की प्रताड़ना से संबंधित है। ऐसी स्थिति में वादिनी की मॉ जो मामले की स्वाभाविक साक्षी थीं, को भी परीक्षित नहीं कराया गया एवं इस प्रकार आवश्यक व महत्वपूर्ण साक्षीगण को परीक्षित न कराकर सत्यता को न्यायालय के समक्ष आने से रोका गया है। इसके विपरीत अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि आवश्यक सभी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं। आरोपपत्र के सभी साक्षीगण को परीक्षित कराया जाना आवश्यक नहीं है। साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है न कि साक्षियों की संख्या। इस संबंध में विधि व्यवस्था **रोहितास कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2013 सीआर0एल0जे0 3183 सुप्रीम कोर्ट** विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसके अनुसार सभी अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया जाना आवश्यक नहीं है। यह अभियोजन का विवेकाधिकार है कि वह अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु किस साक्षी को परीक्षित कराना चाहता है और किसे नहीं कराना चाहता। यदि किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराये जाने के पीछे दुर्भावना है तो अभियोजन के संदर्भ में विपरीत अवधारणा की जायेगी। प्रस्तुत मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि वादिनी एवं अपीलार्थी अशीष के बीच वैवाहिक संबंध खराब होने पर प्रस्तुत मामले की स्थिति उत्पन्न हुयी है। ऐसी स्थिति में जिन साक्षीगण को अभियोजन द्वारा नहीं परीक्षित कराया गया है उनके परीक्षित न कराये जाने के पीछे क्या दुर्भावना थी, को अपीलार्थीगण की ओर से स्पष्ट नहीं किया जा सका। यद्यपि की वर्णित साक्षी खगेश गोयल, नरेश मोदी एवं पीड़िता की मॉ को परीक्षित कराया जाना चाहिये था किन्तु उन्हें न परीक्षित कराये जाने से बचावपक्ष को कोई पूर्वाग्रह्स्तता होना नहीं पाया जाता है। ऐसे साक्षी को बचाव साक्ष्य में बचाव पक्ष भी तलब करा सकता था जो बचावपक्ष ने भी नहीं किया है। अतः अभियोजन के विवेकाधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आलोक में ही प्रस्तुत अपील का निस्तारण किया जाना उचित होगा।

विचारणीय बिन्दु सं0–4 परीक्षित साक्षीगण के बयान में तात्विक विरोधाभाष एवं पी0डब्लू0–1 व 2 के हितबद्ध पक्षकार होने से संबंधित है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया। पी0डब्लू0–1 नूपुर मामले की पीड़िता एवं वादिनी मुकदमा हैं एवं पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता उसके पिता हैं। विधि व्यवस्था **स्टेट आफ यू0पी0 बनाम विजय सिंह व अन्य 2008 (2) ए0 सी0आर0 1396** संदर्भित करते हुये अपीलार्थीगण की ओर से कहा गया है कि साक्षीगण के बयान में विरोधाभाष होने पर, उनके स्वाभाविक आचरण विपरीत होने पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप होने पर तथा पुलिस को देरी से संपर्क करने पर अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। महत्वपूर्ण व स्वंतंत्र

साक्षीगण अभियोजन द्वारा परीक्षित न कराया जाना साबित करता है कि अभियोजन कथानक अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित नहीं है और वे दोषमुक्त होने योग्य हैं मामले में जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि किसी भी महत्वपूर्ण साक्षी को परीक्षित होने से रोका नहीं गया। अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुये अभियोजन द्वारा सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के परिशीलन से गवाहान के बयानों में किसी प्रकार के घोर विरोधाभाष की स्थिति प्रतीत नहीं होती है न ही उनके स्वाभाविक आचरण के विपरीत स्थिति ही स्पष्ट होती है। वादिनी एवं उसके पिता मामले के महत्वपूर्ण साक्षी हैं वे ही घटना के भुक्तभोगी हैं उन्हें किसी भी प्रकार से मामले का हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता। प्रश्नगत निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय पारित करने में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक एवं सूक्ष्म विश्लेषण यथा स्थान किया है एवं बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका मूल्यॉकन किया है।

पॉचवा व छठवॉ विचारणीय बिन्दु अपीलार्थी आशीष नेवटिया के विरूद्ध धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अपीलार्थी आशीष नेवटिया व मंजरी गोयल के विरूद्ध धारा 498ए साबिन न होने से संबंधित है। अपीलार्थी आशीष नेवटिया को अन्तर्गत धारा 498ए व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा मंजरी गोयल को अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता दोषसिद्ध किया गया है। इस संबंध में अपीलार्थीगण का कहना है कि उनके विरूद्ध उपर्युक्त अपराध से संबंधित कोई भी तथ्य साबित नहीं है उन्हें गलत दोषसिद्ध किया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का सम्यक अवलोकन किया गया। विद्वान अवर न्यायालय ने पी0डब्लू0–1 नूपुर व पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता द्वारा किये गये सशपथ बयान का विस्तार पूर्वक उल्लेख प्रश्नगत निर्णय में किया है साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2, 8ए तथा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधान का उल्लेख करते हुये पत्रावली में उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का सम्यक मूल्यांकन करते हुये अभियुक्तगण को दोषसिद्ध होना पाया है। इस संबंध में विधि व्यवस्था **बीरबल बनाम हरियाणा राज्य मनु पीचल 2492, 2013 के प्रस्तर 34** का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उक्त विधि व्यवस्था में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पारिवारिक मामलों में आकस्मिक अनाशयित नोकझोक होती रहती है। कब और किसने किस ढंग से मृतका को प्रताड़ित किया इस संबंध में कोई विश्वसनीय व संगत साक्ष्य पत्रावली में न होने पर तथा मात्र इस आशय की साक्ष्य उपलब्ध होने पर कि सास ने इस

आशय का ताना दिया कि बडे ही घटिया क्वालिटी के कपड़े लायी हो, को प्रताड़ना या क्रूरता नहीं माना जा सकता। अभियोजन की ओर से दहेज की मॉग के संबंध में बैंक ड्राफ्ट यूनियन बैंक आफ झॉसी मुख्य शाखा द्वारा डी0डी0 संख्या 114 / 37834 व 115 / 37885 कमश पैंतालिस हजार व चालिस हजार जो दिनॉक 17.09.1998 आशीष के मॉ रमा नेवटिया के नाम दिया गया था व बैंक ड्राफ्ट नं0–8897 द्वारा पॉच लाख अभियुक्त आशीष नेवटिया को उसकी फर्म रूचिका फेरी फेरल प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के पक्ष में दिनॉक 04.12.1997 को दिया जाना पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता द्वारा कहा गया है। इसके अलावा पीडिता नूपुर की ससुराल से प्रथम विदाई होने के अवसर पर विदाई न करके उससे एक लाख रूपये व 6 सोने की गिन्नी की मॉग भी अभियुक्त आशीष द्वारा किया जाना एवं तदोपरान्त उसे दो माह बाद मायके इस शर्त पर भेजा गया कि वापसी विदाई उसकी तब होगी जब उक्त मॉग पूरी कर दी जायेगी कहा गया है। पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि उपरोक्त शर्त पूरी होने के बाद ही लड़का–लड़की को विदा करा कर ले गया था। शर्त पूरी होने का मतलब है कि एक लाख और 6 गिन्नी उसने आशीष नेवटिया को दिया। वादिनी के अनुसार उसके पापा ने दहेज के सामान के एवज में दस लाख रूपये कैश दिया था इसके अलावा पॉच लाख रूपये का ड्राफ्ट था और दस लाख रूपये कैश गाड़ी के लिये दिया था व दहेज के जेवर दिये थे। शादी के बाद उसे मायके नहीं भेज रहे थे। फोन भी नहीं करने देते थे। शादी के बाद तय हुआ कि एक लाख रूपये व 6 सोने की गिन्नी देंगे तभी लड़की को विदा करेंगे। तब उसके पिताजी ने मान लिया था। वर्ष 98 में दीपावली के पहले आशीष ने अपने व्यवसाय के लिये पैसे की मॉग की जिसपर वादिनी के पिता ने पच्चासी हजार का ड्ाफ्ट भेजा था किन्तु कम पैसे का ड्राफ्ट होने के आधार पर उसे झॉसी नहीं भेजा। माह अप्रैल 1999 में पुनः दो लाख रूपये की मॉग किया। उसके पापा ने दो लाख रूपये और दिये। जुलाई 99 में पुनः पैसे की मॉग की जिसे इन्कार करने पर उसके साथ मारपीट की गयी व मच्छर मारने की फिलिट उसके मुह में डालने लगे। इन सभी तथ्यों का समर्थन पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता ने अपने बयान में किया है। अपीलार्थीगण की ओर से कहा गया है कि ऐसी कोई मॉग नहीं की गयी थी। दहेज में जो भी दिया गया था स्वेच्छा से दिया गया था। रूपये पॉच लाख जरिये ड्राफ्ट शादी के पहले स्वेच्छा से दिया गया था तथा पच्चासी हजार का ड्राफ्ट आशीष की मॉ के नाम से दिया था जो आशीष ने मॉगा नहीं था। उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह सही निष्कर्ष दिया गया है कि भारतवर्ष में शादी के दौरान

लड़की पक्ष द्वारा शादी में धनराशि खर्च की जाती है एवं उपहार स्वंय भी दिये जाते हैं परन्तु जब यह शादी में दबाव स्वरूप आवश्यक हो जाता है और जिसके लिये पक्षकार दबाव बनाते हैं तब वह दहेज की परिधि में आ जाता है। अपीलार्थी आशीष नेवटिया या उसकी मॉ को दिये गये उपर्युक्त ड्राफ्ट जो उसकी मॉ और उसकी फर्म रूचिका फेरिफेरल प्रा0 लि0 के पक्ष में है, का भुगतान चेन्नई में हुआ है। पॉच लाख का बैंक ड्राफ्ट शादी के तुरन्त पहले एवं पच्चासी हजार रूपये का शादी के बाद हुआ है। ऐसी स्थिति में धारा 8ए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपीलार्थी आशीष को यह साबित करना है कि उसने उक्त धनराशि दहेज के संबंध में नहीं ली। जिसके संबंध में कोई साक्ष्य अभियुक्त/अपीलार्थीगण की ओर से नहीं है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा यह भी सही निष्कर्ष दिया गया है कि शादी के बाद लड़की के पिता द्वारा दामाद को सामान्य परिस्थितियों में सहयोग के लिये धनराशि देना कोई विशेष बात नहीं है परन्तु जहॉ पर बेटी को ससुराल में संबंध सामान्य न हो वहॉ लड़की पक्ष द्वारा बड़ी धनराशि को दिया जाना निश्चित रूप से दबाव की स्थिति को दर्शाता है। अतः उपर्युक्त वर्णित धनराशि जो दहेज के संबंध में वादिनी के पिता द्वारा अभियुक्त को दिया जाना कहा गया है दबाव वश दहेज में दी गयी साबित होती है।

अपीलार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क किया गया है कि वादिनी नूपुर आशीष के साथ संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी, यह तर्क मानने योग्य नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह शादी के पूर्व अपने पिता से कह सकती थी कि उसकी शादी वहॉ न की जाये। शादी होने के उपरान्त पति पत्नी एक यूनिट के रूप में होते हैं तथा पति तथा उसके रिस्तेदारों द्वारा उचित सम्मान एवं विश्वास न किये जाने से ही अलगाव होने की स्थिति उत्पन्न होती है। अभियुक्त की ओर से परिवार न्यायालय चेन्नई की याचिका सं0–1174/2000 को परिवार न्यायालय झॉसी अन्तरित करने के आवेदन (सिविल) सं0–50/2001 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिनॉक 27.08.2001 से निरस्त किया गया, वादिनी के पिता द्वारा धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता की एफ0आई0आर0 दिनॉक 17.01.2007 पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनॉक 02.05.2005 को रोक लगायी गयी, श्री गनेश प्रसाद अहिरवार झॉसी द्वारा धारा 156(3) दं0प्र0सं0 आवेदन पत्र दिनॉकित 24.01.2001 को न्यायालय सी0 जे0 एम0 झॉसी द्वारा आदेश दिनॉक 23.02.2001 द्वारा निरस्त किया गया, वादिनी की विवाह विच्छेद याचिका वाद सं0–386/2000 को परिवार न्यायालय इलाहाबाद ने वादिनी की अनुपस्थिति के कारण आदेश दिनॉक 18.09.2004 द्वारा खारिज किया गया, वादिनी के पिता द्वारा

धारा 406 भा0दं0सं0 में दाखिल परिवाद सं0–7914/2005 की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनॉक 05.05.2006 को स्थगित किया गया, वादिनी द्वारा धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 दिनॉक 24.12.2008 को वाद सं0–13300/2008 न्यायालय सी0जे0एम0 झॉसी में दाखिल किया गया जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 18.03.2009 को स्थगित किया गया, वादिनी के पिता द्वारा वापस प्राप्त जेवर की रसीद की छायाप्रति व अभियुक्त के पिता को प्रेषित पत्र की छायाप्रति आदि दाखिल करते हुये वादिनी के पिता द्वारा झूठे मुकदमें में अपीलार्थी को परेशान किये जाने की बात की गयी है। यह स्थिति आपसी संबंध समाप्त होने पर उत्पन्न हुयी है। इसके अलावा किसी वाद या कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्यथा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि दहेज की मॉग के संबंध में कोई विशिष्ट कथन किसी अभियुक्त के विरूद्ध नहीं है। सभी आरोप झूठे हैं जिनके आधार पर कोई दोषसिद्ध नहीं की जा सकती। विधि व्यवस्था **लालाराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 (2) एस0सी0सी0 113** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त को संदर्भित करते हुये कहा गया है कि रूपये पॉच लाख के संबंध में वादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0पं0सं0 में प्रमोद कुमार नेवटिया द्वारा मॉग किया जाना कहा गया है न कि आशीष द्वारा। अपीलार्थी को शादी के समय क्या दिया गया था इससे वादिनी पूर्णतः अनभिज्ञ है तथा दहेज के संबंध में उसके द्वारा दिये गये बयान सुनी सुनाई साक्ष्य होने के कारण मान्य नहीं है। विधि व्यवस्था **कल्यान गो0 बनाम विशाल एस0सी0सी0 532** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के अनुसार दहेज के संबंध में वादिनी की साक्ष्य सुनी सुनाई बात पर आधारित होने के कारण मानने योग्य नहीं है। उसकी साक्ष्य के आधार पर धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध साबित नहीं होता। यह सही है कि वादिनी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई दहेज राशि आशीष अपीलार्थी को नहीं दिया। किन्तु उसकी शादी ही आशीष से हुयी है। उसे शादी की प्रत्येक गतिविधि एवं लेन–देन की प्रत्यक्ष जानकारी होना स्वाभाविक है। अतः उसका स्तर प्रत्यक्ष साक्षी का ही है। अतः संदर्भित विधि व्यवस्था का लाभ अपीलार्थीगण को दिया जाना उचित नहीं है।

मामले में उभयपक्ष की ओर से संदर्भित विधि व्यवस्थायें एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी आशीष नेवटिया के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित होना पाया गया है जो पत्रावली में उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आलोक में विधिपूर्ण है एवं अन्य अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित न होने

के कारण शेष अभियुक्तगण सही रूप से दोषी नहीं पाया गये क्योंकि शेष अभियुक्तगण पीड़िता के ननदें हैं एवं उनपर द्वारा दहेज में दिये गये सामान को उच्च क्वालिटी का नहीं होना, घटिया किस्म का होना आदि कहने एवं ताना दिये जाने मात्र का आरोप है जो कि विधि व्यवस्था **बीरबल व अन्य बनाम हरियाणा राज्य** में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के आलोक में कूरता या दहेज की मॉग की श्रेणी में नहीं आता है।

विधि व्यवस्था हरि कुमार बनाम स्टेट आफ कर्नाटका आई0एल0आर 1993 कर्नाटका 3035 के अनुसार दहेज की मॉग के संबंध में प्राथमिक तथ्य स्थापित हो जाने पर अभियुक्त को यह दर्शित करना है कि उसने विवाह के दूसरे पक्षकार पत्नी या पति के माता पिता या अन्य नातेदारों, संरक्षक से दहेज की कोई मांग नहीं की है।

विधि व्यवस्था रीमा अग्रवाल बनाम अनुपम (2004) 3 एस0सी0सी0 199 के अनुसार सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो दहेज की परिभाषा में शामिल है, विवाह के संबंध में दी गयी हो या मांगी गयी हो।

विधि व्यवस्था मोहिन्दर सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2004 (12) एस0सी0सी0 311, सत्यजीत राय बनाम स्टेट आफ त्रिपुरा 2010 सी0आर0एल0जे0 3397 व फारूख उर्फ मुन्ना बनाम राज्य मनु/यू0सी0/0447/2008 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार जहॉ समान तथ्यों व साक्ष्य पर कुछ अभियुक्त दोषसिद्ध किये गये हैं तो अन्य अभियुक्तगण को उन्हीं तथ्यों व साक्ष्य पर दोषसिद्ध नहीं की जा सकती।

यहॉ उल्लेखनीय है कि दहेज की विभिन्न अवसरों पर वादिनी व उसके पिता से की गयी मॉग केवल अपीलार्थी आशीष नेवटिया द्वारा है न कि अन्य अभियुक्तगण जो आशीष नेवटिया की बहने हैं एवं पीड़िता की नन्दें हैं, द्वारा की गयी है। अतः तथ्यों व साक्ष्य की भिन्नता के दृष्टिगत संदर्भित विधि व्यवस्थाओं का पूर्ण लाभ अपीलार्थी आशीष को दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

विधि व्यवस्था एस गोपाल रेड्डी बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1996) 4 एस0सी0सी0 596 के अनुसार किसी दस्तावेज को केवल उसके बनाने वाले व्यक्ति या उसको बनाने वाले के हस्तलेख से परिचित होने वाला व्यक्ति ही साबित कर सकता है। प्रस्तुत मामले में बैंक पी0एन0बी0 व एस0बी0आई0 झॉसी के मैनेजर या जिस व्यक्ति को संबंधित ड्राफ्ट अभियुक्त की कंपनी या उसकी मॉ के नाम निर्गत किये हैं, को प्रस्तुत कर ही साबित कराया जाना चाहिये था, न कि पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता द्वारा।

यह सही है कि बैंक द्वारा उक्त ड्राफ्ट निर्गत होने संबंधी प्रमाणपत्र को पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन गुप्ता द्वारा प्रदर्शित किया गया है किन्तु उल्लेखनीय है कि यहॉ पर हस्तलेख का विवाद नहीं है। विवाद इस बात का है कि उक्त प्रमाणपत्र में वर्णित धनराशि से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट को दहेज मॉग के अनुक्रम में वादिनी के पिता द्वारा दिया गया है या नहीं

विधि व्यवस्था **हाजी बादल बनाम आबिद हुसैन व अन्य 1982 (8) ए0सी0आर0 151 व कैलाश नाथ अग्रवाल बनाम प्रेम पाल अग्रवाल 982 (8) ए0सी0 आर0 198 व विजय कुमार सेठी बनाम स्टेट आफ पंजाब ए 0आई0आर0 1982 पी एण्ड एच 372** के अनुसार दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दहेज की मांग संबधी अपराध व अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता संबंधी अपराध के आरोप एक साथ एक ही समय पर नहीं गठित हो सकते हैं। प्रस्तुत मामले में धारा 406 भा0दं0सं0 का आरोप न होने से संबंधित विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में प्रयोज्य नहीं है।

विधि व्यवस्था सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2001 (8) एस0सी0सी0 633 व अप्पा साहेब व अन्य बनाम महराष्ट्र ए0आई0आर0 2007 एस0सी0 736 में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त के अनुसार –धन की मांग किसी आकस्मिकता से निपटने के लिये या किसी आवश्यक घरेलू खर्चे के लिये या रूढिगत दान, जो जन्मदिन या किसी अवसर आदि पर हो, दहेज की परिधि में नहीं आते हैं। प्रस्तुत मामले में की गयी मांग व दिया गया धन विवाह के संबंध में दहेज की मांग के अधीन होना साबित है न कि किसी आकस्मिकता या रूढिगत दान के संबंध में।

अपराध अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता जो निरन्तर चलने वाला अपराध है, के संबंध में उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय ने अभियुक्त /अपीलार्थी आशीष कुमार नेवटिया व मंजरी गोयल को अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया है। अभियुक्त आशीष के संबंध में पीड़िता की प्रताड़ना के बाबत निष्कलंक एवं विश्वसनीय साक्ष्य पीड़िता के सशपथ बयान में उपलब्ध है जिसका समर्थन वादिनी के पिता पी0डब्लू0–2 यशोवर्धन की साक्ष्य से भी होता है। अभियुक्त आशीष द्वारा पीड़िता के साथ कई बार मार पीट किये जाने व मच्छर मारने की फिनिट उसके मुॅह में डालने का पीड़िता ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है जिसका खण्डन प्रति परीक्षा साक्ष्य में नहीं है। यह सही है कि मामले में कोई आघात आख्या पत्रावली में नहीं है, न ही घटना के किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी खगेश गोयल, नरेश मोदी आदि, जो तत्समय घटना के तथ्य से वाकिफ थे, को

परीक्षित कराया गया है। केवल वादिनी एवं उसके पिता को ही परीक्षित कराया गया है किन्तु उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निःसंदेह रूप से अपीलार्थी आशीष नेवटिया ने अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन पीड़िता वादिनी के साथ शादी के बाद से ही जुलाई 99 तक चेन्नई में रहने के दौरान एवं दिसम्बर 2000 में झांसी आकर रूपये दो लाख दहेज की मॉग पूरी न होने पर वादिनी के पिता को वादिनी को जान से मारने की धमकी देकर पीड़िता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुये क्रूरता पहुॅचायी गयी है। अतः अपीलार्थी आशीष नेवटिया के विरूद्ध आरोप धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता संदेह से परे साबित होना पाया जाता है। उसे सही रूप में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है।

जहॉतक अपीलार्थी/अभियुक्ता श्रीमती मंजरी गोयल का संबंध है नूपुर द्वारा माह जुलाई 1999 में आशीष द्वारा की गयी पैसे की मॉग को पूरा करने से इन्कार किये जाने पर आशीष द्वारा मच्छर मारने की फिनिट उसके मुॅह में डालने व तत्समय कमरे में आशीष व मंजरी के होने व मंजरी द्वारा उसे पकड़ने का आरोप है। एक अन्य स्थान पर भी आशीष व मंजरी द्वारा मारपीट किये जाने का कथन वादिनी ने किया है किन्तु मंजरी गोयल पीड़िता की ननद है एवं नव विवाहिता पति–पत्नी के बीच कोई असामान्य बात होने पर घर में उपलब्ध अन्य सदस्य की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वे उसे शान्त करायें। ऐसी स्थिति में अभियुक्त आशीष नेवटिया के द्वारा पीड़िता के मुॅह में फिनिट डालने पर मंजरी द्वारा पीड़िता को पकड़ना सम्भव है कि वह उसे बचाने के लिये हो। सम्भवतः यही कारण है कि फिनिट से कोई दुर्घटना नहीं घटित हो सकी। पी0डब्लू0–2 ने भी अपने सशपथ बयान में मंजरी के संबंध में कथन किया है कि अभियुक्त आशीष ने केवल धमकी ही नहीं दिया बल्कि वादिनी को बालकनी से बाल पकड़ कर धक्का देकर गिराने की कोशिष भी किया। इसी बीच वह किसी तरह बचना चाही तो मंजरी ने उसे पकड़ लिया। सुस्पष्ट करता है कि अभियुक्त आशीष द्वारा बालकनी से धक्का देकर गिराने की स्थिति में वादिनी को पकड़ना उसके बचाव के लिये था न कि उसे क्षति पहॅुचाने के आशय से। आशीष ने जब उसके मुह में फिनिट डाली तब वह किसी तरह हाथ छुडा कर उसी बिल्डिंग के उपर रहने वाले के यहॉ जाकर जान बचायी। इस प्रकार मात्र पकड़ने का आरोप ही मंजरी गोयल पर है। वह विवाहिता ननद है एवं उसकी ससुराल बम्बई में होना कहा गया है, निश्चित रूप से मंजरी गोयल का पीड़िता की प्रताड़ना व क्रूरता में कोई योगदान दर्शित नहीं होता है। उसके विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता सन्देह से परे साबित होना नहीं पाया जाता है। उसके संबंध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष विधिपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार

अभियुक्ता मंजरी गोयल अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

विचारणीय बिन्दु सं0–7 के संबंध में जैसा कि पहले ही अभिमत दिया जा चुका है कि अभियुक्त आशीष के अतिरिक्त मंजरी गोयल, रश्मी इमरान, मयूरी मित्तल को 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध न किये जाने के संबंध में दिया गया निष्कर्ष विधिपूर्ण है। इसी प्रकार रश्मि इमरान व मयूरी मित्तल को अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध न किये जाने के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसपर किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। शेष अपराध अन्तर्गत धारा 323,504,506 व 420 भारतीय दंण्ड संहिता के संबंध में दिये गये अभिमत कि धारा 323,504,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से कोई अपराध किये जाने की साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध साक्ष्य के दृष्टिगत सही निष्कर्ष है। धारा 420 भा0दं0सं0 का आरोप इस संबंध में है कि अभियुक्तगण की तरफ से आशीष नेवटिया की आर्थिक हैसियत के संबंध में बढ़ा चढा कर बताया गया था जब कि उसकी हैसियत उस रूप में नहीं थी। इस संबंध में विद्वान अवर न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि इस संबंध में तस्दीक करने का दायित्व वादिनी के पिता का था तथा कोई भी सारवान तथ्य या साक्ष्य अभियोजन द्वारा इस बाबत प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में यदि आरोप का बनना पाया भी जाये तो केवल रीता बंसल व राजीव बंसल जो शादी के मध्यस्थ थे, के विरूद्ध हो सकता है, जिनका विचारण माननीय न्यायालय से स्थगित है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिया गया निष्कर्ष कि वर्तमान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 का अपराध साबित नहीं होता है, भी सही है। तद्नुसार अपील सं0–216/2009 आशीष नेवटिया बनाम राज्य निरस्त किये जाने योग्य है, अपील सं0–217/2009 मंजरी गोयल बनाम राज्य स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील सं0–19/2010 राज्य बनाम रश्मी इमरान आदि भी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अपील सं0–216/2009 निरस्त की जाती है। आशीष नेवटिया के संबंध में प्रश्नगत निर्णय दिनॉकित 13.11.2009 पुष्ट किया जाता है। अपीलार्थी आशीष नेवटिया आज उपस्थित नहीं है। अतः उसे आदेशित किया जाता है कि वह 10 दिन के भीतर विद्वान अवर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद के समक्ष आत्मसमर्पण करे, तदोपरान्त विद्वान अवर न्यायालय प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 13.11.2009 के अनुपालन में उसे दण्डादिष्ट सजा भोगने हेतु सजायाबी वारण्ट

के साथ केन्द्रीय कारागार नैनी प्रेषित करें। अपीलीय निर्णय के साथ विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु कार्यालय लिपिक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त आशीष नेवटिया उपर्युक्त 10 दिन के भीतर विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण नहीं करता तो विद्वान अवर न्यायालय उसके विरूद्ध विधि अनुसार गिरफ्तारी कार्यवाही कर दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

अपील सं0–217/2009 मंजरी गोयल बनाम सरकार स्वीकार की जाती है एवं तद्नुसार मंजरी गोयल को अन्तर्गत धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उसे आत्म समर्पण की आवश्यकता नहीं है।

अपील सं0–19/2010 राज्य बनाम रश्मि व अन्य निरस्त की जाती है। सभी अपीलार्थी/अभियुक्तगण के प्रतिभू उन्मोचित किये जाते हैं।

इस निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी आशीष नेवटिया को आत्म समर्पण करने पर निःशुल्क अविलम्ब प्रदान की जाये।

इस निर्णय की एक–एक प्रति तीनों ही अपील पत्रावली में न्यस्त की जाये।

धारा 437(6) सी0आर0पी0सी0 इस अपीलीय निर्णय के विरूद्ध सम्भावित अपील के दृष्टिगत श्रीमती मंजरी गोयल, श्रीमती रश्मि इमरान व श्रीमती मयूरी मित्तल रूपये बीस–बीस हजार का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो– दो प्रतिभू 10 दिन के भीतर अग्रिम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निष्पादित करें जो निर्णय की तिथि से 6माह तक प्रभावी होगा।

(राम किशोर शुक्ल)
दिनांक–10.02.2022 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1,
इलाहाबाद
(आई0डी0नं0–UP-5741)

आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा यह निर्णय हस्ताक्षरित, दिनॉकित करके सुनाया गया।

(राम किशोर शुक्ल)
दिनांक–10.02.2022 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 1,
आर0एस0 इलाहाबाद
(आई0डी0नं0–UP-5741)